राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम जयपुर 302005
दूरभाष सं0 0141–2222403, वेबसाईट www.cmar-india.org, ई–मेलः dlbrajasthan @gmail.com

क्रमांकः–प.2(च)( )जॉच / डीएलबी / 18 / 2177 दिनांकः 9/10/18

–: आदेश :–

श्रीमती ललिता समदानी, सभापति नगर परिषद भीलवाड़ा के विरूद्ध पद का दुरूपयोग करने की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्रारम्भिक जॉच करवाई गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्दया अनियमितता होना पाया गया है। श्रीमती ललिता समदानी, सभापति नगर परिषद भीलवाड़ा के विरुद्ध लगाये गये आरोप काफी गम्भीर प्रकृति के पाये जाने के कारण जो दुराचरण की श्रेणी में आते है, राज्य सरकार द्वारा उनके विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अन्तर्गत न्यायिक जॉच करवायें जाने का निर्णय लिया गया है। श्रीमती ललिता समदानी, सभापति नगर परिषद भीलवाड़ा के पद पर बने रहने से न्यायिक जॉच प्रभावित किये जाने की संभावना है।

अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्रीमती ललिता समदानी, सभापति नगर परिषद भीलवाड़ा को सभापति एवं सदस्य के पद से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः–प.2(च)( )जॉच / डीएलबी / 18 / 2178 – 2186 दिनांकः 9/10/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. निदेशक लेखन एवं मुद्रण राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के भाग 6(क) के आगामी अंक मे प्रकाशनार्थ।
02. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, अजमेर।
06. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
07. आयुक्त नगर परिषद, भीलवाड़ा।
08. श्रीमती ललिता समदानी, सभापति नगर परिषद भीलवाड़ा।
09. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी